न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 102/2023 (2023/253)

1. मुकेश कुमार मेवाडा पुत्र प्रहलाद मेवाडा जाति कलाल (मेवाडा) निवासी ग्राम जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थी

2. अनिता पुत्री महावीर जाति बाबर
3. जगदीश पुत्र लादू जाति बाबर
4. राधेश्याम पुत्र महावीर जाति बाबर
5. रामरसी पत्नि स्व महावीर जाति बाबर
6. सीताराम पुत्र लादू जाति बाबर

उपस्थित :-

1. श्री शिवप्रसाद पाराशर – अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी – अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 20/06/23

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत र्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम/कस्बा जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण नेम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
847–854	533	0.03	गै.मु.खड्डा
	541	0.33	चाही 1 जाव 1
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.36 हैक्टर	

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त आधिपत्य की आराजीयात है जिस पर अन्य किसी व्यक्ति का हक अधिकार हिस्सा नही है। प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा निवेदन करने पर आराजीयात का सीमाज्ञान सही नही हुआ तब प्रार्थी ने दुबारा सीमाज्ञान करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने न्यायालय से आदेश लाने की बात कह कर वाद वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान नही कराये जाने की बात कही जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात खातेदारी में दर्ज है, अतः प्रकरण में राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा जूनियां तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 847–854 में दर्ज खसरा नम्बर 533, 541 किता 2 कुल रकबा 0.36 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकडी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)